



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०-1800890915(टोल फ्री)

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 20 /12-1 मुनिकीरेती,

दिनांक 01 / 06 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड मिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.350 हे० का वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम धनराली को 20 वर्षों की लीज पर लिये जाने के संबंध में। (Online proposal no:- FP/UK/WATER/41575/2019)

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 2571/ FP/UK/WATER/41575/2019, दिनांक 03.06.2020 के कम में।

म्होदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार के द्वारा किंचित बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक-4212/12-1, दिनांक- 12.06.2025 से प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय


वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

पत्रांक:- 20 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 4212/12-1 नई टिहरी, दिनांक- 12-06-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड गिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे० का वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को 30 वर्षों की लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में। (Online No-FP/UKWATER/41575/2029)

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 2571/FP/UKWATER/41575/2029, दिनांक-03.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक-20.05.2020 से प्रश्नगत प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण कर आख्या याचक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-413/410/08 दिनांक-26.05.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	State government may submit the land schedule of civil soyam land in length and width format.	लैन्ड शैड्यूल (सिविल एवं सोयम भूमि) की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	It is submitted that all the muck will be utilized but muck disposal plan is not countersigned by DFO. State Government may clarify this and submit the muck disposal plan duly countersigned by the DFO.	मलबा निस्तारण प्रमाण पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-02)
3	Comments of DFO against para-6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem is not provided. State Government may provide the appropriate comments against the para-6 of Part II online.	ऑनलाईन पैरा-06 भाग-02 में संशोधन कर दिया गया है।
4	Plantation scheme not found uploaded. State Government may upload the plantation scheme of planting 359 trees in online portal.	वृक्षारोपण प्राक्कलन को ऑनलाईन भाग-02 के अतिरिक्त दस्तावेज में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-03)
5	Comments against para-6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem inappropriate. State Government may provide the appropriate comments against the para-6 of Part II Online.	ऑनलाईन पैरा-06 भाग-02 में संशोधन कर दिया गया है।
6	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be Clarified suitably.	ऑनलाईन पैरा-14 भाग-02 में district profile को संशोधित कर दिया गया है।
7	Two components i.e. construction of Tank and pipeline is mentioned in the components wise breakup at para B 2.4 of part-I but 5 components i.e. construction of intake, (ii) treatment plant MPS, Reservoir, (iii) staff quarter, (iv) pipeline and (v) sign board are mentioned in the component wise breakup submitted with the hard copy of the proposal. State Government may clarify this discrepancy.	प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण (प्रारूप-31) को संशोधित कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-04)

8	The forest land involed is mentioned as 0.20 ha. Instead of 0.359 ha. in para 3 & 5 of the sub-diviosional level committee proceedings.	Sub-diviosional level committee (प्रारूप-30.2) में परियोजना के संशोधित करते हुये 0.20 है० के स्थान है० कर दिया गया है। जिसकी प्रति (संलग्नक-05)
---	---	---

अतः प्रश्नगत परियोजना में इंगित कमियों का ऑनलाईन व ऑफलाईन निराकरण कर आख्या संलग्नक 04 प्रतियों (एक मूल प्रति सहित) में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांक:-

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, घनसाली, (टिहरी गढ़वाल)-249155 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

आशा है कि
आप को मजदूरी

26/6/15

वन विभाग	
आदि	मुनि की रेती
पत्रावली	
विचर	
उत्तराखण्ड	

स्थान पर प्रति संलग्न कर आख्या

परियोजना का नाम:- चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप - 15
लैन्ड शेड्यूल
(सिविल एवं सोयम भूमि)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लॉक	नगर पंचायत	ग्राम	खसरा संख्या	कुल रकबा (Ec)	अर्जित कुल रकबा (घन मी०)	परियोजना की लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई मी० में	आवर्तित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	टिहरी गढ़वाल	बालगंगा	भिलगंगा	चमियाला	लाटा पट्टी केमर खाता खतौनी संख्या 17	909	0.269 म.	1590 sqm	837	1.90	0.159
योग										0.159 हे०	

ह०/-
(राजस्व विभाग)

12/12/2024
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-चमियाला
तहसील-बालगंगा ति० ग०

17-Jan-25
तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
घनसाली

ह०/-
प्रयोगकर्ता: Engineer
Construction Division
Uttaranchal Payal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.L.)

प्रारूप - 16

परियोजना का नाम :- ई0ए0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य। परियोजना की लम्बाई- चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	50	40	0.20
2	सिविल सोयम भूमि	837	1.90	0.159
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	-	-	-
	वन भूमि का योग	-	-	-
5	नाप भूमि	-	-	-
	कुल योग -			0.359

[Signature]
ह0/ *[Signature]*
उप निरीक्षक
नगर पंचायत
(राजस्थान विभाग)
टिहरी गढ़वाल

[Signature]
Tehli
18/06/2025

[Signature]
Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)

[Signature]
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payal Sansadhan Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)

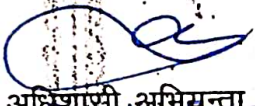
[Signature]
उप निरीक्षक
नगर पंचायत
टिहरी गढ़वाल
(राजस्थान विभाग)

जना का नाम:- चमियाला पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप - 24

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 21 न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वृक्षों का पातन किया जायेगा।


अधिकांशी अभियन्ता
Executive Engineer
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
Construction Division,
जल निगम, घनसाली, टि०ग०
Uttarakhand Payal Sansadhali Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (I.C)


प्रभागीय वनाधिकारी
नई, टिहरी वनप्रभाग,
टिहरी वन प्रभाग
नई, टिहरी


वन अधिकारी
चमियाला पंपिंग
चमियाला, टि०ग०

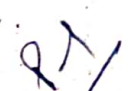
नी का नाम:- चमियाला पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे० आरक्षित वन / सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप-24

वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड भिलंगना की चमियाला पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे० आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि योजना के निर्माण में 21 वृक्षों का पातन हो रहा है ।


अधिसूत्री अधिकारी
निर्माण विभाग, चमियाला,
जनपद टिहरी गढ़वाल
Evam Nirman Nigam, Ghansali (T.G.)


प्रभागीय वनाधिकारी
नई टिहरी वनप्रभाग,
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


व्यवस्थापक अधिकारी
चमियाला पंपिंग पेयजल
चमियाला टिहरी

परियोजना का नाम :- ई0ए0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 निर्माण हेतु 0.20 है0 आरक्षित वन भूमि 0.159 है0 सिविल एवं सायेग भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड एजेन्सी के पत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक 24/6/19 को सम्मन बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचाराम चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. श्री फिंचाराम चौहान | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. श्री बलवीर प्रसाद बघानी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य। |
| 3. श्री सतवीर सिंह पंवार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव। |
| 4. श्री विजय गन्तगोल | ब्लॉक प्रमुख भिलंगना | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में राज्य योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु परियोजना हेतु 0.359 है0 वन भूमि का पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत चमियाला के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित नगर पंचायत चमियाला द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुपंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत चमियाला / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पे0यो0 के निर्माण हेतु 0.359 है0 वन भूमि पेयजल निगम घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

पत्रांक :- / तददिनांक।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल

प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयोजो का नव निर्माण कार्य।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में प्रस्तावित नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयोजो के नव निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	निर्माण कार्य	आवश्यक भूमि (हे०)
01	जलाशय।	0.20
02	पाईप लाईन।	0.159


कृषि अभियन्ता
पेयजल निगम, घनसाली


सहायक अभियन्ता
पेयजल निगम, घनसाली


अधिशाली अभियन्ता
पेयजल निगम, घनसाली

प्रारूप -49

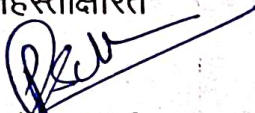
परियोजना का नाम:- चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना.....

मलवा निस्तान्तरण प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्वावित परियोजना के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे के परियोजना क्षेत्र में भरण के रूप में प्रयोग किया जायेगा। मलवे का निस्तारण अन्यत्र नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण मलवे का उपयोग परियोजना क्षेत्र में ही किया जायेगा।


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwaja Sansthan Vikas
Evam Nirman Nigam

प्रतिहस्ताक्षरित


वन क्षेत्र अधिकारी
बालगंगा रेंज
चमियाला टि0ग0

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन प्रभाग
मंडी टिहरी

359 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि का प्राकल्लन

कार्य का नाम:- चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना हेतु अग्रिम मृदा कार्य करना।
रेज का नाम:- बालगंगा रेज, चमियाला।

प्रभाग का नाम:- टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

हस्तान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल- है०।

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्ष :- 2025-26।				धनराशि (रु० में)
		मात्रा	इकाई	दर	प्रति	
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य करना।	1	हे०	741.00	हे०	741.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई, घास व झाड़ी कटान एवं नष्ट करना।	1	हे०	8138.00	हे०	8138.00
3	पत्थरों की कुली दीवाल बनाना। (150 X 0.60+0.45/2 X 1.20) = 94.50m ³	1	हे०	83662.00	हे०	83662.00
4	वनीकरण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में दो पक्ति में जैविक घेरबाड़ कार्य। (तीन बल्ब प्रति मीटर)।		प्रति दो पक्ति 100 बल्ब	1406.52	प्रति दो पक्ति 100 बल्ब	6329.34
5	वृक्षारोपण कार्य करने हेतु गड्ढे खुदान कार्य करना मय संरेखण एवं चिन्हीकरण। (0.30x0.30x0.45)	359	गड्ढे	17.81	गड्ढे	6393.79
6	कंकड़-पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण करना। (0.30x0.30x0.45)	359	गड्ढे	3.06	गड्ढे	1098.54
7	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्राम प्रति गड्ढा) जैविक खाद/जीवामृत/ कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित।	359	पौध	2.02	पौध	725.18
8	निरीक्षण बटिया बनाना।	1	हे०	1639.20	हे०	1639.20
9	पौधरोपण कार्य करना	359	पौध	5.75	पौध	2064.25
10	वृक्षारोपण हेतु पौधों की कीमत (2 वर्ष की तैयार की गई पौध)	359	पौध	30.10	पौध	10805.90
11	पौधों का दुलान	359	पौध	17.78	पौध	6383.02
12	पौधों की निराई, गुड़ाई, मल्टिंग व थायलाबन्दी करना (प्रथम व द्वितीय बार)	359	पौध	14.06	पौध	5047.54
13	पौधों के थायलों (गड्ढे में) रासायनिक खाद डालना।	359	पौध	2.02	पौध	725.18
14	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास-फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे०	643.46	हे०	643.46
15	स्टेगर्ड कन्दूर फरों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (घूने की कीमत सहित)।	100	प्रति फर	1.78	प्रति फर	178.00
16	स्टेगर्ड कन्दूर फरों का खुदान (3.00x0.45x0.30)	100	प्रति फर	171.59	प्रति फर	17159.00
17	कन्दूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 से०मी० ऊपर उठाकर भरण कर दबाना तथा जमाना (3.00 X 0.45 X 0.30)	100	प्रति फर	13.00	प्रति फर	1300.00
18	पौधों की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	9	माह	1284.40	माह	11559.60
19	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करना (जलकुण्ड/घहल निर्माण, गली प्लगिंग, आर०आर० ड्राई चैक डैम निर्माण करना)	1	जॉब	L.S	जॉब	450000.00
20	निकटवर्ती जल स्रोत (अधिकतम 02 कि०मी० की परिधि में) से वनीकरण की सिंचाई एवं चाल-खाल भरने हेतु पी०वी०सी० पाईप के माध्यम से पानी की व्यवस्था।	1000	प्रति 100 मी०	100.00	प्रति 100 मी०	100000.00
21	अन्य प्रकीर्ण व्यय (POL, बीज बोना, पानी की व्यवस्था, वृक्षारोपण हेतु साइन बोर्ड/टोकरी/रस्सी, औजार तेज कराई, मूल्यांकन, आदि)।	1	हे०	4000.00	हे०	4000.00


वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा राजि, चमियाला
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

अनुरक्षण प्रथम वर्ष					
1	पौधों की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	12	माह	1284.40	माह 15412.80
2	पौधों की निराई, गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	359	पौघ	2.28	पौघ 818.52
3	क्षतिपूर्ति रोपण कार्य 10 प्रतिशत				0.00
3.1	पौघ की कीमत	36	पौघ	30.10	पौघ 1083.60
3.2	पौघ का डुलान	36	पौघ	17.78	पौघ 640.08
3.3	गड़ड़ा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थापलायन्दी कर रोपण कार्य करना।	36	पौघ	28.64	पौघ 1031.04
4 i	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास-फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे०	643.46	हे० 643.46
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी. चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	1	हे०	379.60	हे० 379.60
अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	पौधों की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	12	माह	1284.40	माह 15412.80
2	पौधों की निराई, गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	359	पौघ	2.28	पौघ 818.52
3 i	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास-फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे०	643.46	हे० 643.46
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी. चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	1	हे०	379.60	हे० 379.60
अनुरक्षण तृतीय वर्ष					
1	पौधों की सुरक्षा हेतु दैनिक चौकीदार	12	माह	1284.40	माह 15412.80
2	पौधों की निराई, गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	359	पौघ	2.28	पौघ 818.52
3 i	अग्नि सुरक्षा कार्य (रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास-फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।)	1	हे०	643.46	हे० 643.46
ii	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 5 मी. चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	1	हे०	379.60	हे० 379.60
				कुल योग-	773110.86
				या-	769337.00

नोट :- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून आदेश सं०-क-1191/3-5-2 (एफ.सी.) दिनांक 26.03.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिक्त पड़े स्थान/100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु०-2143.00 रु० प्रति वृक्ष निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिक्त पड़े स्थान/100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु०-2143.00 रु० प्रति वृक्ष के अनुसार निकाली जा रही है।

100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि :-	359	x	2143.00	=	₹ 7,69,337.00
---	-----	---	---------	---	---------------

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा राजि, चमियाला
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।